बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
www.scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-896/311.17.21 दिनांक-18 जून'2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
-सह-अपर आयुक्त नि:शक्तता, बिहार

विषय :- **140वीं हेलेन केलर जयन्ती (27 जून,2020) के अवसर पर राज्य निवासी दिव्यांगजनों एवं उससे जुड़े व्यक्तियों व संस्थाओं व सरकारी अधिकारीगण व अन्य के साथ विविध ऑनलाईन मीडिया माध्यमों से वर्चुअल ई-जनजागरूकता सह ई-संवाद कार्यक्रम** (Virtual Awareness and Reach out Program) **का आयोजन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में महान हस्ती हेलेन एडम्स-केलर (27 जून1880-01 जून,1968) के आरंभिक परिचय के रूप में उल्लेख करना है कि बहुदिव्यांगता (बधिर व दृष्टिहीन) के बावजूद कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली बहु प्रतिभावान इस अमेरिकी लेखिका, राजनीतिक व समाजिक कार्यकर्ता, शिक्षिका ने संघर्ष के साथ सफलता के नए मानदण्ड स्थापित किए एवं जागरूकता प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में दिव्यांगता से जुड़े विविध महत्वपूर्ण दिवसों पर किए गए सोद्देश्य आयोजनों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। कार्यशालाओं/कॉन्फ्रेन्सों, वर्कशॉप इत्यादि के रूप में विविध दिवसों पर आयोजित ये कार्यक्रम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 अन्तर्गत उल्लिखित राज्य आयुक्त के कृत्यों, विशेषतया धारा-80 (च) एवं 80 (ड़) वर्णित कृत्यों के परिपोषक रहे हैं। इन आयोजनों की उद्देश्य की पूर्ति में विविध स्तर पर प्राप्त सहयोग आवश्यक संबल रहा है, जो प्रशंसनीय है।

उक्त क्रम में ही विषयक आयोजन के संबंध में निम्न सूचनाएँ/निदेश आपके ध्यानार्थ व आवश्यक कार्यार्थ सम्प्रेषित है।

(1) **थीम**:- शत प्रतिशत दिव्यांगजन करें अपने मताधिकार का प्रयोग (सरल, सुगम, समावेशी एवं बाधारहित मतदान एवं 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 में प्रदत अधिकार' (सुरक्षा, सरक्षण, पूर्ण भागीदारी, हिस्सेदारी एवं प्रोडक्टिव सीटीजन) मिले बिहार के हर दिव्यांगजनों के द्वार-द्वार।

(2) **उद्देश्य** :-

(i) आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दिव्यांग मतदाताओं की मतदान प्रतिशतता शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) प्राप्त करना। मतदान को सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं अवसंरचना को सरल, सुगम, समावेशी एवं बाधारहित बनाना।

(ii) बिहार सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके कल्याणार्थ संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का दिव्यांगजनों एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों एवं संस्थाओं के मध्य व्यापक जागरूकता प्रसार किया जाना ताकि अधिकाधिक संख्या में दिव्यांगजन लाभान्वित हो कर सामाजिक व आर्थिक संबल प्राप्त कर सके व अपने राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग कर सके।

(3) **लक्ष्य**:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सूची में वृद्धि (07 से बढ़कर 21) किये जाने तथा पूर्व जनगणना वर्ष 2011 से लगभग 09 वर्ष का समय बीतने के पश्चात जनगणना विशेषज्ञ के एक आकलन अनुसार वर्तमान में राज्य में दिव्यांगजनों की कुल अनुमानित जनसंख्या लगभग 51 लाख है, जिनके साथ ई-संवाद करने का लक्ष्य है।

कृ0पृ030..............

(4) **<u>लक्षित लाभुक दिव्यांग (सहभागिता)</u>**:- अति गंभीर दिव्यांगजन, दिव्यांगजन, अभिभावकगण, कानूनी अभिभावकगण, सरकार के अधिकारीगण, पुनर्वास विशेषज्ञ, सिविल सोसाईटी एवं सभी गाँव, पंचायत, पंखण्ड सवडिविजन, जिला, प्रमण्डल एवं राज्य स्तर पर गठित डी0पी0ओ0 (दिव्यांगजन)।

(5) **<u>ई-समारोह तथा माध्यम</u>**:-हेलेन केलर जयन्ती (27 जून 2020) के अवसर पर आयोजित ई-समारोह के अवसर पर ई-कार्यशाला, बेविनार, ई-संवाद (भागलपुर प्रमण्डल के सम्बन्ध में) तथा ई-जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।

ऑनलाइन मीडिया के विविध साधन यथा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग, यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, दूरभाष, ब्हाटस्ऐप इत्यादि।

(6) <u>प्रक्रिया</u>:-उक्त आयोजन के दो चरण निश्चित किए गए हैं :-

(i) हेलेन केलर जयन्ती दिवस 27 जून2020 के अवसर पर आयोजित इस ई-समारोह, के प्रथम चरण में पूर्वा0 11:00 बजे से अप0 03:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा भागलपुर प्रमण्डल के संबंध में पब्लिक ऑनलाईन लोक अदालत (ई-न्यायालय), ई-कार्यशाला, तथा बेविनार का आयोजन किया जाएगा।

(ii) ई-समारोह के द्वितीय चरण में अप0 04:00 बजे से अप0 06:00 बजे तक सोशल मीडिया माध्यमों से लाइव ई-जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

(7) <u>प्रासंगिक प्रावधान</u> :-

(i) अध्याय-2 की धारा-3, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करें तथा राज्य सरकारें समुचित वातावरण प्रदान कर दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी।

(ii) धारा-11, जिसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी मतदान केन्द्र दिव्यांगजनों की पहुँच में हो और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री इनके लिए सहजता से समझने योग्य और इनकी पहुँच में हो।

(iii) धारा-80 एवं 82 अन्तर्गत प्रावधानित राज्य आयुक्त के कृत्य के अन्तर्गत अन्य के साथ-साथ दिव्यांगजनों के अधिकारों के क्षेत्र का संवर्धन तथा अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों पर जागरूकता का संवर्धन का कार्य समाहित है तथा इन कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

(8) <u>विषय सामग्री</u> :-

(a) दिव्यांगों को मतदान प्रतिशतता में वृद्धि करने तथा समावेशी, सुगम एवं बाधारहित मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा इस संबंध में पत्रांक-358 दि0-19.03.2019 में वर्णित निदेशों का संदर्भ लेने की कृपा करें। ये निदेश दिव्यांगजन के विशेष संदर्भ में सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा न्यूनतम व अन्य संबद्ध सुविधाओं की व्यवस्था हेतु प्रदत्त निदेश के अनुरूप है।

(b) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण, सुरक्षा, उपलब्ध सुरक्षापायों तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन व इससे संबंधित सुधारकारी उपायों के विषय में इस कार्यालय द्वारा विविध अवसरों पर आवश्यक निदेश प्रदान किए गए हैं। इस सम्बन्ध में जिले के जिला स्तरीय तथा प्रखण्ड स्तरीय चलन्त न्यायालय-सह-आयोजित समीक्षा बैठकों के दौरान विविध विभागीय व क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस संबंध में प्रदत्त प्रशिक्षण व उपलब्ध कराई गई लेख-सामग्रियों आवश्यक साधन होगी।

लक्षित लाभुकों को इनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें इस कार्यालय द्वारा उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु की गई कार्रवाईयों का उल्लेख करते हुए उन्हें अधिकार वंचना की स्थिति में इस न्यायालय में अपनी शिकायत:परिवाद समर्पित करते हुए अधिकार प्राप्ति हेतु जागरूक किया जाए।

*कृ0पृ030..............*

इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 में इस कार्यालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियों तथा भावी वर्षों की कार्यविधि का उल्लेख किया गया है। इसे सार रूप में उपरोक्त आयोजित ई-समारोह के दौरान लक्षित लाभुक दिव्यांगजनों के साथ किए जाने वाले ई-संवाद के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

उक्त के साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान इस कार्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों की शिकायतों विशेषकर लॉकडाउन अवधि में आवश्यक राशन व पेंशन की सुविधा से जुड़े शिकायतों का निष्पादन किया गया। राज्य स्तरीय पब्लिक ऑनलाईन अदालत तथा अग्रेतर विविध दिनांक-25.04.2020 को आयोजित प्रमण्डलीय पब्लिक ऑनलाईन अदालतों एवं इसके दौरान वृहत संख्या में दिव्यांगजनों के शिकायतों के ऑनलाईन निष्पादन कर दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण/सुरक्षापायों का राज्य अन्तर्गत नया आयाम दिया गया। इस विषयों पर लक्षित लाभुकों के मध्य ई-जनजागरूकता का प्रसार किया जाए ताकि दिव्यांगजन ऑनलाईन माध्यम से अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने तथा इसके समाधान प्राप्त करने हेतु तत्पर हो सके। वर्तमान समय में इससे संबंधित जागरूकता का प्रसार अत्यन्त आवश्यक हो गया है ताकि विशेष आवश्यकता के इस समय में दिव्यांगजन अपने अधिकारों से वंचित न रहे।

दिव्यांगजनों के संबंध में सरकार (केन्द्र व राज्य) द्वारा निर्गत विविध शासनादेशों, आदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों इत्यादि का एक अद्यतन संकलन भी इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित कराया गया है। इसकी सॉफ्ट प्रति कार्यालय की बेवसाइट **www.scdisabilities.org** पर उपलब्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालनार्थ निर्गत उक्त संकलन में समाहित आदेशों के संबंध में दिव्यांगजनों को इस आयोजन अन्तर्गत जागरूक किया जाए ताकि वे अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु सजग हो सके।

अनुरोध है कि दिव्यांगजनों के शत प्रतिशत मतदान के व्यापक मूल उद्देश्य के साथ दिव्यांगजनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिवस हेलेन केलर जयन्ती दिवस (27 जून,2020) पर आयोजित उक्त आयोजन के उद्देश्यों की सफलता हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए एवं इस विषय में संबंधित पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

यहाँ प्रसंगवश हेलेन केलर की निम्न दो प्रमुख सूक्तियाँ जो उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शक रही है, का उल्लेख उचित है :-

**" The only thing worse than being blind is having sight but no vision."**

**" While they were saying among themselves it cannot be done, it was done."**

विश्वासभाजन

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-896/आ.नि.श. दिनांक-18 जून'2020

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को हेलेन केलर जयन्ती ई-समारोह मनाने हेतु अपने नियंत्राधीन पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-896/आ.नि.श. दिनांक-18 जून'2020

प्रतिलिपि:-सभी जिलों के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को उपरोक्त विवरणीनुरूप "हेलेन केलर जयन्ती" ई-समारोह का आयोजन लक्षित लाभुकों के सम्बन्ध में अपने स्तर पर करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-896/आ.नि.श्री    दिनांक-18 जून'2020

प्रतिलिपि:-बिहार राज्य के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को उपरोक्त विवरणीनुरूप "हेलेन केलर जयन्ती" ई-समारोह का आयोजन लक्षित लाभुकों के सम्बन्ध में अपने स्तर पर करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-896/आ.नि.श्री    दिनांक-18 जून'2020

प्रतिलिपि:-बिहार राज्य के सभी प्रखण्ड पदाधिकारी को उपरोक्त विवरणीनुरूप "हेलेन केलर जयन्ती" ई-समारोह का आयोजन लक्षित लाभुकों के सम्बन्ध में अपने स्तर पर करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-896/आ.नि.श्री    दिनांक-18 जून'2020

प्रतिलिपि:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-72 के तहत गठित सभी स्थानीय दिव्यांगजन समूहों (ग्राम स्तरीय, पंचायत स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय, अनुमण्डल स्तरीय, जिला स्तरीय एवं प्रमण्डल स्तरीय) को उपरोक्त विवरणीनुरूप "हेलेन केलर जयन्ती" ई-समारोह का आयोजन लक्षित लाभुकों के सम्बन्ध में अपने स्तर पर करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-896/आ.नि.श्री    दिनांक-18 जून'2020

प्रतिलिपि:-दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत सभी गैरसरकसरी स्वयंसेवी संस्थाओं को उपरोक्त विवरणीनुरूप "हेलेन केलर जयन्ती" ई-समारोह का आयोजन लक्षित लाभुकों के सम्बन्ध में अपने स्तर पर करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-896/आ.नि.श्री    दिनांक-18 जून'2020

प्रतिलिपि:-दिव्यांगजन अभिभावक संगठन को उपरोक्त विवरणीनुरूप "हेलेन केलर जयन्ती" ई-समारोह का आयोजन लक्षित लाभुकों के सम्बन्ध में अपने स्तर पर करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-896/आ.नि.श्री    दिनांक-18 जून'2020

प्रतिलिपि:-दिव्यांगजनों के देखभालकर्त्ता, पुनर्वास प्रोफेशनल्स को उपरोक्त विवरणीनुरूप "हेलेन केलर जयन्ती" ई-समारोह का आयोजन लक्षित लाभुकों के सम्बन्ध में अपने स्तर पर करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

आमंत्रण / सूचना

# हेलन केलर जयन्ती ई-समारोह

ई-कार्यशाला, वेबिनार, ई-संवाद, वर्चुअल एवं ई- न्यायलय जन-जागरूकता कार्यक्रम

**दिनांक : 27-06-2020 (शनिवार) समय : सुबह 11 बजे दिन से**

सत्यमेव जयते

## इस वर्ष का थीम...

शत प्रतिशत दिव्यांगजन करें अपने मताधिकार का प्रयोग (सरल, सुगम, समावेशी एवं बाधारहित मतदान) एवं

'आर.पी.डब्ल्यू .डी. एक्ट 2016 में प्रदत अधिकार' (सुरक्षा, सरक्षण, पूर्ण भागीदारी, हिस्सेदारी एवं प्रोडक्टिव सीटीजन) मिले बिहार के हर दिव्यांगजनों के द्वार-द्वार ।

YouTube SC Disabilities

SC Disabilities

zoom

## लक्ष्य...

पुरे बिहार में

**51** लाख दिव्यांगजनों (21 प्रकार) एवं उनके परिवारों के साथ ई-संवाद का लक्ष्य रखा गया है।

इस वर्चुअल ई-जनजागरूकता कार्यक्रम में...

**21** प्रकार के दिव्यांगजनों के साथ विभिन्न सोशल मिडिया के जरिये ई-संवाद एवं वर्चुअल जागरूकता फैलाना है।

## सहभागिता

अति गंभीर दिव्यांगजन, व्यिांगजन, अभिभावकगण, कानूनी अभिभावकगण, सरकार के अधिकारीगण, पुनर्वास विशेषज्ञ, सिविल सोसाईटी एवं सभी गांव, पंचायत, प्रखण्ड, सबडिविजन, जिला, प्रमण्डल एवं राज्य स्तर पर गठित डी.पी.ओ. (दिव्यांगजन)।

## निवेदक :

राज्य आयुक्त निःशक्ता (दिव्यांगजन) का कार्यालय
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना – 800015
मो०: 9431015499 ईमेल scdisability2008@gmail.com

SC Disabilities | SC Disabilities | 9431015499

अत्यावश्यक

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/आ0नि0 दिनांक-29 मार्च'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी,
बिहार

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना
दैनिक पंजी संख्या 5815
दिनांक 9/4/19

विषय :- **आगामी लोकसभा आम चुनाव-2019 में दिव्यांगजनों को सुगम्य एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निदेशानुरूप न्यूनतम व अन्य सम्बद्ध सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में।**

संदर्भ :- **भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-464/INST/PwD/2016/EPS दि0-07.09.2016 एवं निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-एस1-1-5/2018-36 दि0-18.02.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित मामले में कहना है कि निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-एस1-1-5/2018-36 दि0-18.02.2019 के अन्तर्गत सुगम एवं समावेशी निर्वाचन के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तर पर पुनर्गठित The State Steering Committee on Accessible Elections (SSCAE) कमिटी में अधोहस्ताक्षरी को सदस्य सचिव का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि आगामी लोकसभा का आम चुनाव-2019 बिहार राज्य में सभी सात चरणों के साथ-साथ कुछ विधानसभा का उपचुनाव भी आगामी माह से प्रारंभ हो रहा है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अध्याय-2 की कंडिका-11 पर यह प्रावधान किया गया है कि, सभी मतदान केन्द्र दिव्यांगजनों की पहुँच में हो और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुँच में हो। विभिन्न जिलों में दिव्यांगों को सुगम्य समावेशी मतदान करने हेतु न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था संबंधित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी बिहार राज्य स्तर से किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-464/INST/PwD/2016/EPS दि0-07.09.2016 के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को चुनाव प्रक्रिया में पूर्ण एवं रचनात्मक भागीदारी तथा सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में निम्न निर्देश प्रदान किये गए हैं :-

(1) मतदाता सूची के आधार पर प्रति मतदान केन्द्रानुसार दिव्यांगजनों की सूची, दिव्यांगता का प्रकार अंकित करते हुए, अलग से तैयार की जाए।
(2) प्रत्येक मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में BLOs द्वारा दिव्यांगजनों की पहचान,उनके दिव्यांगता का प्रकार सहित,की जाए तथा संबंधित अभिलेख डाटाबेस में संधारित किए जाए।
(3) दिव्यांगजनों के मतदान संबंधी तैयार निर्देशों को मतदान केन्द्रों के बाहर प्रदर्शित किया जाए।
(4) दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में, जहाँ तक संभव हो सके, मतदाता मार्गदर्शिका, मतदाता पर्ची तथा मतदाता पहचान पत्र ब्रेल लिपि में तैयार किया जाए।

कृ0पृ0उ0.............

(5) दिव्यांग मतदाताओं के प्रयोग हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा यथा निदेशित व्हील चेयर की अभिष्ट संख्या में व्यवस्था कर ली जाए।

(6) दिव्यांगजनों के मतदान कार्य के सुविधार्थ प्रशिक्षण प्रदत्त निष्पक्ष युवा स्वयंसेवकों की व्यवस्था की जाए।

(7) दिव्यांग मतदाताओं की आवश्यकतानुरूप यथोचित मतदान मार्गदर्शिका (Voters Guide) की व्यवस्था कर ली जाए।

(8) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए दिव्यांग मतदाताओं हेतु निम्न न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाएँ (Assured Minimum Facility-AMF) की व्यवस्था कर ली जाए :-

- (a) राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उचित ढाल (Gradient) के साथ स्थायी रैम्पों की व्यवस्था।
- (b) ई0वी0एम0 (EVM) में ब्रेल सुविधा की व्यवस्था।
- (c) मतदान केन्द्रों पर उचित एवं पर्याप्त पहुँच की सुनिश्चितता।
- (d) मतदान केन्द्रों पर यथोचित पार्किंग सुविधा।

(9) दिव्यांगजनों के सुविधार्थ मतदान कर्मियों को यथोचित प्रशिक्षण तथा आवश्यकताओं के प्रति संवेदित किया जाना।

(10) उचित वातावरण निर्माण तथा SVEEP कार्यक्रमों का संचालन।

(11) उपलब्ध सुविधाओं के संबंध से सभी संबंधित यथा, दिव्यांगजनों, राजनीतिक पार्टियों, मीडिया के मध्य सूचनाओं का प्रसार किया जाना।

(12) जहाँ तक सम्भव हो सके, दिव्यांगजनों के वृहद संख्या में निवास स्थानों पर विशिष्ट चुनाव बूथों की व्यवस्था करना। दिव्यांगजनों की आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाओं यथा उचित शौचालयों, मतदान केन्द्रों के बाहर टेकटाइल चिन्ह तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में चुनाव मार्गदर्शिका की व्यवस्था।

(13) दिव्यांगजनों के मध्य उन मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में पूर्व सूचना का प्रेषण जहाँ व्हील चेयर की अग्रिम ऑनलाईन बुकिंग करायी जा सकती है।

(14) दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए, जहाँ तक संभव हो सके, डम्मी बैलोट पेपर (Dummy Ballot Paper) की व्यवस्था करना।

(15) दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाताओं के निबंधन हेतु Audio Application यथा Voice SMS इत्यादि की व्यवस्था।

उक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगामी लोकसभा आम चुनाव-2019 को दृष्टिपथ में रखकर दिव्यांगजनों का चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु निम्न सुझाव प्रदान किये जाते हैं :-

(1) जिले में चिन्हित सभी दिव्यांगजनों की सूची पी.सी.सी.पी. (P.C.C.P.) को उपलब्ध कराया जाय। पी.सी.सी.पी. (P.C.C.P.) ही दिव्यांगजनों को मतदान केन्द्र तक लाने एवं मतदान के पश्चात् घर तक छोड़ने का काम करेंगे। (अनुपालन प्रखंड विकास पदाधिकारी)

(3) जो दिव्यांगजन पहली बार मतदान करेंगे उन्हें सम्मान पत्र प्रदान किया जाय।(अनुपालन सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

(4) सभी मतदान केन्द्र पर मानक रैम्प की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-एस1-1-5/2018-77 दि0-07.01.2019 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी "Access For All" नामक पुस्तिका में वर्णित निदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

(5) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर Dedicated Volunteers की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। साथ ही उनके सही-सही प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। (अनुपालन सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/कृषि सलाहकार/जीविका/पंचायत रोजगार सेवक/विकास मित्र)।

(38

(6) सभी मतदान केन्द्र/भवन में व्हील चेयर की व्यवस्था की जायं।
(7) सभी मतदान केन्द्र पर ब्रेल बायलेट की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। (अनुपालन सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी)
(8) सभी मतदान केन्द्र/भवन में दिव्यांगों के लिए अलग पंक्ति की व्यवस्था आवश्यक है (अनुपालन सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी)
(9) सभी मतदान केन्द्र पर दिव्यांगों के लिए सुविधामुक्त शौचालय एवं पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक है।
(10) मतदान केन्द्र पर यथोचित Signage की व्यवस्था आवश्यक है।
(11) जीविका/शिक्षा विभाग/बुनियाद केन्द्र के प्रतिनिधियों को निदेश दिया जाय कि, दिव्यांगजनों मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
(12) जो मानसिक/बौद्धिक रूप से दिव्यांग है उनका अपने माता-पिता या Legal Guardian के सहयोग से मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित किया जायं।

अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग की सुगम एवं समावेशी निर्वाचन हेतु प्रतिबद्धता के आलोक में उपर्युक्त निर्देशों/सुझावों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर अनुपालित कराने की कृपा की जाय। साथ हीं अनुरोध है कि इसके सम्बन्ध में एक अनुपालन प्रतिवेदन स्वयं अथवा दिव्यांगजनों के समावेशी मतदान हेतु नामित नोडल पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/- 29.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/ आ०नि०श०
दिनांक-29 मार्च'19

प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 29.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/ आ०नि०श०
दिनांक-29 मार्च'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, 07, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, पटना-15, को में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 29.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/ आ०नि०श०
दिनांक-29 मार्च'19

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 29.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/ आ०नि०श०
दिनांक-29 मार्च'19

प्रतिलिपि:-सभी जिलों के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 29.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-358/ आ०नि०श०
दिनांक-29 मार्च'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 29.03.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार,पटना।